

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दोसा

बनाम चन्द्रमान राज सरकार

किरम मुकदमा-136 एल.आर.ए.

मु0नं0- 06/2026

पीठासीन अधिकारी- डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/11/26	<p>प्रकरण जरिए तहसीलदार <u>सहस्रवर्मा</u> द्वारा इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की भूमि आराजी खाता संख्या/खसरा संख्या <u>25,26,51,47</u> वाके ग्राम <u>दवाकर</u> में स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में <u>चन्द्र पुत्र धीरा</u> दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम <u>चन्द्रमान पुत्र धीरामाम</u> है। इसलिए उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि की जावे। तहसीलदार द्वारा पेश प्रकरण के अवलोकन तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम <u>चन्द्र</u> के स्थान पर सही नाम <u>चन्द्रमान</u> दर्ज करने के आदेश तहसीलदार को दिए जाते है। तहसीलदार उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दोसा